प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी वादी के नाम होना प्रकट होता हैं। जिससे सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति व प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 11.07.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी के हक व हिस्से में मजामहत नहीं करें। पाबंद रहे। अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तिथि तक जारी की जाती है । यदि इस आदेश के जारी होने में आपति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें । हुक्मनामा जारी हो पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर होकर दिनांक 11.07.2019 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पत्रावली दिनांक 22-08-19 को पेश हो। Ram

पी. ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / राजकीय अवकाश
होने से दिनांक 17-10-19 को पेश हो। Ram

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा मूल वाद नोट प्रेस कर लिया है। इस कारण प्रा. पत्र निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Not press